

राजस्थान सरकार
राजस्व ग्रुप - ६ विभाग

क्रमांक: प.०६४४ रा.ज-६/२०००/।।।

जयपुर, दिनांक: ३-५-२०००

-अधिसूचना-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, १९५६ द्वारा राजस्थान अधिनियम

संख्या - १५ वर्ष १९५६ की धारा २६ की उप-धारा ४१४ संपत्ति
धारा २६० की उप-धारा ४१५ के खाड़ ४८५ में प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एवं द्वारा निर्देश देती है कि उक्त
अधिनियम की धारा १३५ की उप-धारा ४१५ एवं अधिसूचना क्रमांक
प.०५२१४ रा.ज-४/८०/३५ दिनांक ४.९.८२ यथा संशोधित के तहत
नामान्तरण के मामलों को निर्णित करने की ग्राम पंचायत की शक्तियों
का प्रयोग ग्राम पंचायतों के स्थान पर समस्त तहसीलदार एवं समस्त
नायब तहसीलदार द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के भीतर किया जायेगा।

यह अधिसूचना दिनांक ३०.६.२००० तक प्रभावी रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

शिव कुमार शर्मा ३५/२०००

शासन उप सचिव